राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 11.05.2021

आदेश

प्रदेश मे कोविड–19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा संक्रमण की श्रृंखला को तोडने, कोविड से संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार, चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किये जाने हेतु सभी संभव प्रयास निजी अस्पतालों के सहयोग लेते हुए निरन्तर किये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा भी निजी अस्पतालों को उनकी क्षमता व सुविधाऐं बढाने हेतु (यथा मेडिकल ऑक्सीजन व दवाई उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित करने में सब्सिडी आदि उपलब्ध कराने के रूप में) आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित सभी मरीज चाहे ऐसे मरीज राजकीय/निजी अस्पतालों में उपचाररत हो, को समुचित उपचार व चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध कराने, प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत वितरण एवं उपयोग तथा मानव जीवन बचाने के दृष्टिगत सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि जिले में उपलब्ध वेन्टीलेटर/ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित किये जाने के उपरान्त भी यदि वेन्टीलेटर/ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध हो तो उन्हें आवश्यकतानुसार कोविड उपचार हेतु अधिकृत निजी अस्पतालों में स्थापित किया जा सकता है। किन्तु जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि निजी अस्पतालों में स्थापित किये गये ऐसे वेन्टीलेटर/ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर का कोई भी चार्ज निजी अस्पतालों द्वारा मरीज से वसूल नहीं किया जाए तथा मरीज को जारी किये जाने वाले बिल में इस बाबत कोई भी राशि प्रभारित नहीं की जाए।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. मिशन निदेशक, एन. एच. एम., राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
14. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
15. कोविड–19 उपचार हेतु अधिकृत समस्त राजकीय/निजी चिकित्सालय, राज.
16. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
17. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव